तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज शान्ति देवी व अन्य बनाम जगन्नाथ वगैराह बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 34/23 (2023/574)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण के पिता किशोरीलाल की ओर से अदालत हाजा में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध अदालत हाजा में वर्ष 2013 में अपील प्रस्तुत की थी। उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत थी। दिनांक 19.09.2017 को अदालत हाजा द्वारा प्रार्थीगण के पिता की ओर से प्रस्तुत अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने का आदेश पारित किया है। अदालत हाजा में लम्बित अपील की पैरवी प्रार्थीगण के पिता किशोरी लाल की ओर से की जा रही थी। प्रार्थीगण के पिता गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उनका उपचार एस.एम.एस अस्पताल जयपुर में चल रहा था। इस कारण अदालत हाजा में नियत पेशी दिनांक 19.09.2017 को उपस्थित नहीं हो पाये थे। अदालत हाजा की ओर से आदेश पारित किये जाने की दिनांक 19.09.2017 के एक माह बाद प्रार्थीगण के पिता का निधन हो गया था। इस संबंध में वकील प्रार्थीगण ने किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 21.10.2017 को होने संबंधी मृत्यु प्रमाण पत्र व सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की ओर से जारी बाह्य रोगी उपचार पत्र की प्रति फार्म संख्या 3 के साथ प्रस्तुत की गई। चूंकि अदालत हाजा में लम्बित अपील की पैरवी प्रार्थीगण के पिता ही करते थे। इसलिये प्रार्थीगण के पिता किशोरी लाल द्वारा प्रार्थीगण को उक्त अपील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिन पूर्व प्रार्थीयान को घर में अदालत हाजा में लम्बित अपील संबंधी पत्रावली मिलने पर उक्त पत्रावली अभिभाषक को दिखाये जाने पर उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि प्रार्थीगण के पिता की ओर से प्रस्तुत अपील दिनांक 19.09.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गई है। अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की सलाह अभिभाषक द्वारा दिये जाने पर अदालत हाजा में बिना किसी विलम्ब के बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण का विवादित भूमि में हित निहित है। इसलिये उक्त अपील को गंभीरता से कंटेस्ट करना चाहते हैं। बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र पेश करने में प्रार्थीगण की ओर से जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी होते ही उक्त प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में डिले कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसका अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई अपील संख्या 96/2017 उनवानी किशोरी लाल बनाम जगन्नाथ को पुनः नंबर पर ली जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे। 17.9.2024 प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई व मनन किया गया। प्रार्थीगण के पिता किशोरीलाल की ओर से उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 05.08.2013 को अपील प्रस्तुत की थी। जिसे दिनांक 19.09.2017 को अपीलान्ट या उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 19.09.2017 के आदेश को अपास्त किये जाने बाबत अदालत हाजा में दिनांक 18.04.2019 को बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसका अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया, परन्तु प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया कि अदालत हाजा में नियत पेशी दिनांक 19.09.2017 को उनके पिता किशोरीलाल की ओर से नियुक्त अभिभाषक के अनुपस्थित रहने का क्या कारण रहा है ? इसके अलावा प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया कि प्रार्थीगण को अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 के संबंध में किस दिनांक को जानकारी प्राप्त हुई, परन्तु प्रार्थीगण की ओर से विलम्ब से अपील पेश किये जाने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थीगण के पिता की ओर से प्रस्तुत अपील में वर्णित विवादित खसरा नंबर में प्रार्थीगण का हित निहित होने तथा अपील को सीरियसली कंटेस्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज शान्ति देवी व अन्य बनाम जगन्नाथ वगैराह बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 34/23 (2023/574)	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2024	प्रार्थीगण की ओर से बाजदायरी प्रार्थना पत्र लगभग 1 वर्ष 5 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इसलिये 500 रुपये की कोस्ट की राशि लगाई जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र 500 रुपये की कोस्ट पर स्वीकार किये जाने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट की राशि 500 रुपये जिला विधिक सहायता समिति भरतपुर में जमा कराई जाकर रसीद आगामी पेशी दिनांक 30.09.2024 से पूर्व आवश्यक रूप से अदालत हाजा में पेश की जावे। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। (साँवर मल) बर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	